

107 प्रस्ताव
2

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी,

1

पमरा महतो की
कनाम
राजेंद्र महतो की

M-30/2017

आदेश पत्रक

अप.

अभिलेख संख्या :- एम. 30 / 2017 धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी करा के अप्राथमिकी संख्या :- 4/17

113
4/4/A

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी ।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द0 प्र0 स0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ । द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध -पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय ।

दिनांक :- 18/4 को उपस्थापित करें ।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

7/9/17 प्रथम पत्र के डाकिये + नए डायरी / प्रदि-15 22.9.17
को लें

7.9.17

22/9/17 प्रथम पत्र के डाकिये + नए डायरी विपरीत के 6 नं 216 नं
डाकिये के साथ डायरी पुता: दि. 12/10/17 नं 205

12/10/17 विपरीत के 205 नं 216 नं डायरी + डाकिये के
साथ डायरी पुता दि. 31/10/17 नं 205

31/10/17 विपरीत के डाकिये + नए डायरी विपरीत के 205
नं 216 नं प्रथम पत्र के डाकिये +
डायरी (सब वही प्रथम पत्र के डाकिये वही
कार्य वही) प्रथम पत्र के डाकिये

31/10/17